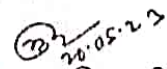


अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटौंड(विद्यासागर)
संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रसीकरण चाद संख्या-20/2023

तिथि	आदेश फलक	मतव्य
1	2	3
20.05.2023	<u>—आदेश—</u> अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.5.16 के साथ सहपठित उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश झापांक 461/रा0, दिनांक-14.5.16 के आधार पर संधारित किया गया है। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्वा संख्या-05 ने अंचल निरीक्षक करमाटौंड(विद्यासागर) के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटौंड(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-मंझलाडीह, थाना सं0-24, खाता सं0-23/4 दाग सं0-436 रकवा-0.50 एकड़ भूमि जमाबंदीदार-विपन दास ग्राम-मंझलाडीह, पोस्ट-करमाटौंड, थाना-करमाटौंड, जिला-जामताड़ा के नाम से पंजी-11 में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ स्थल जाँच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किस्म-पुरातन पतित कहकर दर्ज है तथा जमाबंदी पंजी के जमाबंदी नं0-23/4 में वर्ष 2004-2005 तक लगान जमा दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया है कि चूँकी पंजी-11 के प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी कायम करने का कोई आधार दर्ज नहीं है तथा जमाबंदीदार के वारिशानो के द्वारा उक्त जमाबंदी का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। अतः जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। प्रतिवेदन के आधार पर वादी को नोटिस देकर कई मौके अपना पक्ष रखने हेतु दिया गया। वादी की ओर से उनके परनाती श्री किंकर दास पिता रामचन्द्र दास उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है कि भूमि की बंदोबस्ती के संबंध में कागजात पेश करने हेतु समय दिया जाए। वादी को कई मौके अपना दावा सिद्ध करने हेतु दिया गया परन्तु वे कभी भी कोई कागजात या साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहे। अतः अंचल करमाटौंड(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-मंझलाडीह, थाना सं0-24, के जमाबंदी संख्या-23/4 पर बंदोबस्ती संबंधी कोई साक्ष्य या दावा अप्राप्त रहने के कारण जमाबंदी संख्या-23/4 को संदिग्ध मानते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रन्तर कारवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा को भेजें।  अंचल अधिकारी, करमाटौंड(विद्यासागर), जामताड़ा।	